


बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

पटना, दिनांक- 26.7.17

संख्या-1/प्रशि०स्था० 08/17 श्र०सं०.....98...../प्रशासनिक कार्यहित में विभागीय अधिसूचना सं० 97, दिनांक 25.7.17 द्वारा 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अतिरिक्त प्रभार प्राचार्यों/उप प्राचार्यों को दिया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रमांक 9 के स्तम्भ 3 में श्री राजीव रंजन सतसंगी, उप प्राचार्य, औ०प्र०सं०, बिस्फी, मधुबनी के बदले श्री अतुल रंजन, प्राचार्य, औ० प्र० सं०, घोघरडीहा, मधुबनी एवं क्रमांक 28 के स्तम्भ 3 में श्री अतुल रंजन, प्राचार्य, औ० प्र० सं०, घोघरडीहा, मधुबनी के बदले श्री मनीष शंकर, उप प्राचार्य, औ० प्र० सं०, बेनीपट्टी पदा जाय। शेष यथावत् रहेगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/प्रशि०स्था० 08/17 श्र०सं०98...../ पटना, दिनांक- 26.7.17

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (प्रशिक्षण)/सभी सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित)/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।